भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2968
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में श्रमिकों को प्रशिक्षण

2968. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार सृजन का कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कोई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल रोजगार निम्नानुसार है:

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
रोज़गार	20,05,286	20,32,625	20,36,874	20,68,048	22,96,654

तथापि, एएसआई रिपोर्ट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के बारे में ग्रामीण/शहरी स्तर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल रोजगार क्रमशः 39,61,353 और 46,57,057 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वर्ष 2021-22 में 22,08,072 और वर्ष 2022-23 में 26,44,434 है।

(ख): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय 166 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)-अनुरूप पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें खाद्य उद्योग क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 08 पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की मांग को पूरा करते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत खाद्य उद्योग क्षेत्र में पाठ्यक्रमों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना/उन्नयन के लिए अनुदान सहायता के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना शुरू की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन का समर्थन करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में श्रमिकों को प्रशिक्षण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत खाद्य उद्योग क्षेत्र में पाठ्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है:

क्रम सं.	व्यापार का नाम	प्रवेश योग्यता	एनएसक्यूएफ स्तर	अवधि	वर्ष संशोधन
1	फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
2	फूड बेवरेज	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
3	फूड प्रोडक्शन (जनरल)	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
4	फ्रूट एंड वेजीटेबल प्रोसेसिंग	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
5	मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेकनीशियन	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
6	एग्रों प्रोसेसिंग	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
7	बेकर एंड कंफेकशनर	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष	3	एक वर्ष	2022
8	केटरिंग एंड होस्पिटिलिटी असिस्टेंट	10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	3	एक वर्ष	2022

*****